	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 21, बुधवार, *शाके* 1947- नवम्बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2025

संख्या प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4185 :-राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (क) तथा नियम 61 एवं 62 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1420 दिनांक 26.04.2019, अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/3864 दिनांक 07.10.2019, अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(5)(1)पंचा/ रानिआ/2019/1913 दिनांक 25.05.2023, अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(5)(1)पंचा/ रानिआ/2019/376 दिनांक 28.01.2025 एवं अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(5)(1)पंचा/ रानिआ/2019/2456 दिनांक 28.07.2025 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. **<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ</u>:-** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान जिला परिषद प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति प्रधान/उप प्रधान निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025 है,

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (iii) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **<u>परिभाषाऐं</u>** :- इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "सविरोध निर्वाचन" से जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;

(ii) "निर्वाचन" से जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

(iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;

(iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;

(v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;

(vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

(vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

(viii) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ix) "उप-खण्ड" से उस खण्ड का उप-खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;

(x) "सारणी-1" से इस आदेश के संलग्न सारणी-1 अभिप्रेत है;

(xi) "सारणी-2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी-2 अभिप्रेत है;

(xii) "पद" से किसी जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान अभिप्रेत है; और

(xiii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमश: समनुदिष्ट किए गये हैं।

3. **<u>निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</u> :-** निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी पद के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

4. **<u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u>** :- (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **<u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u>** :-

(i) सारणी-1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी-1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. **<u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा</u>** :- कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :-

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष/मुखिया अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा **प्ररूप 'ख'** में इस आशय की लिखित सूचना **अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये नियम 59 के उप नियम (3) के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पूर्व** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'क'** में रिटर्निंग अधिकारी को **अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये निर्धारित तिथि व समय से पूर्व** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण-1 इस खण्ड के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत, दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहाँ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।

स्पष्टीकरण-2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य ईकाई के अध्यक्ष एवं जहाँ अध्यक्ष का पद नहीं होकर सचिव का पद है, वहाँ सचिव के नमूने के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित

रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **<u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate)</u>** :-

(क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate), जिसका नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं हुआ हो एवं उसने अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो, को उस दल द्वारा खड़ा तभी माना जावेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन-पत्र, को नियम-59 के उप नियम (5) के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम-59 के उप नियम (7) के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोई नामनिर्देशन-पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड-12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. **<u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u>** :- यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जावेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. **<u>दल द्वारा एक पद के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों के मनोनयन पर निषेध</u>** :- यदि किसी दल द्वारा एक ही निर्वाचन के लिए प्ररूप 'ख' में एक नोटिस द्वारा, स्तम्भ 6 में वर्णित उम्मीदवार से भिन्न, एक से अधिक अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया जाता है तो कोई भी अभ्यर्थी उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं माना जायेगा, लेकिन यदि दल ने प्ररूप 'ख' में किसी पश्चातवर्ती नोटिस से पूर्ववर्ती सभी अभ्यर्थियों का मनोनयन निरस्त कर एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी का मनोनयन खण्ड 6 के अनुसार कर दिया है तो पश्चातवर्ती नोटिस में अनुमोदित अभ्यर्थी को दल द्वारा खड़ा किया गया माना जावेगा।

10. **<u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध</u>** :- जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें संलग्न सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जावेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन-पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जावेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन-पत्र में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. **<u>प्रथम नाम निर्देशन-पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u>** :- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन-पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज ही क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नाम-निर्देशन पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न-भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न-भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने इस अधिसूचना के खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जावेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जावेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अन्तगत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

12. **<u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u>** :- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नाम-निर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी-2 में से निम्नानुसार मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे :-

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम वरियता पर रखा है तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि नहीं दी हो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. **निर्वाचन प्रतीको के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण :-** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रतीक का आवंटन, सिवाय वहाँ के अंतिम होगा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं भी निर्देशों से असंगत हो, ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

14. **<u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u>** :- राज्य निर्वाचन आयोग,-

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिये,

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा

सारणी-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क्र.सं.	**मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है**	**आरक्षित प्रतीक**
1.	**2.**	**3.**
A- राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल
2.	भारत आदिवासी पार्टी	हॉकी और बॉल

सारणी-2

(जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	अलमारी	2.	चप्पलें
3.	सेब	4.	कोट
5.	गुब्बारा	6.	चारपाई
7.	चूड़ियाँ	8.	मिक्सी
9.	मोतियों का हार	10.	पेन्सिल डिब्बा
11.	बेन्च	12.	तकिया
13.	आदमी व पाल युक्त नौका	14.	बिजली का खंभा
15.	बक्सा	16.	बाँसुरी
17.	ईंटें	18.	फ्राक
19.	बाल्टी	20.	रेफ्रिजरेटर

प्ररूप - 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/4185 दिनांक: 17.10.2025 का खण्ड 6)

प्रेषिति-:

रिटर्निंग अधिकारी,

.....

***जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव**

विषय:- जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन - उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ. 4(5)(1)/पंचा/रानिआ/2019/4185 दिनांक: 17.10.2025 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये ..... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	* जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम और पद का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :-

1.श्री ..... के हस्ताक्षरों के नमूने

(1) ..... (2) ..... (3) .....

2.श्री ..... के हस्ताक्षरों के नमूने

(1) ..... (2) ..... (3) .....

..

भवदीय,

स्थान: .....
दिनांक .....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं नाम
दल का नाम एवं दल की मोहर सहित

नोट:- 1. यह प्ररूप अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्रारधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

प्ररूप-'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये
उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/4185 दिनांक: 17.10.2025 का खण्ड 6)

प्रेषिति:-

रिटर्निंग अधिकारी,

.....

* जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव

विषय:- जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ. 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/4185 दिनांक: 17.10.2025 के अनुसरण में ..... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये पद के निर्वाचन के लिए खड़ा किया है। मैं उक्त दल की ओर से एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे

1. (i)स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है, उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और
   (ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र को संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।

*पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	पद का नाम *प्रधान/ उपप्रधान / प्रमुख/ उपप्रमुख	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नाम-निर्देशन पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है)	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है।

3. प्ररूप 'ख' में दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,

स्थान: .....

दिनांक: .....

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम व दल की मोहर

नोट:- 1. यह प्ररूप अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

नलिनी कठोतिया,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।